पत्रिका

प्रशिक्षण में अनुपस्थित बीएलओ के खिलाफ होगी कार्रवाई : चारण

जोधपुर @ पत्रिका. भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डीएलएमटी एवं एएलएमटी की ओर से बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर शहर (प्रथम) उदयभानु चारण ने बताया कि प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले बीएलओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शेरगढ़ में 9, भोपालगढ़ में 5, सरदारपुरा में 2, जोधपुर में 1, सूरसागर में 8, बिलाड़ा में 2 तथा लूणी में 2 बीएलओ प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे।

31/07/2025 | Jodhpur City |
Page : 4
Source :
https://epaper.patrika.com/

दैनिक भास्कर

भोपालगढ़| राजकीय कन्या महाविद्यालय भोपालगढ़ में बीएलओ का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। दक्ष प्रशिक्षक रामचंद्र सारण व रतनसिंह देवड़ा ने बताया कि एसडीएम श्रद्धासिंह चौधरी के नेतृत्व में आयोजित प्रशिक्षण में 290 मतदान केंद्र पर नियुक्त बीएलओ के 60-60 के बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान फार्म संख्या 6, 7 एवं 8 के साथ ही नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम शुद्धिकरण सहित अलग-अलग बूथ लेवल अधिकारियों को जानकारी दी जा रही है। शाखा के प्रभारी कनिष्ठ सहायक रामभरोस मेघवाल द्वारा सभी बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ को ऑनलाइन आंकड़ों के माध्यम से भी जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

दैनिक भास्कर

बिलाड़ा| विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ व सुपरवाइज का प्रशिक्षण गुरूवार से राजकीय आईटीआई कॉलेज बिलाड़ा में प्रारंभ हो गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम एवं उपखंड मजिस्ट्रेट) बिलाड़ा मृदुला शेखावत ने बताया की निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण राज्य स्तर से प्रशिक्षित DLMTs एवं जिला स्तर से ALMTs द्वारा संबंधित विधानसभा मुख्यालयों पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीएलओ का प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है और प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ को निर्वाचन विभाग द्वारा तैयार की गई फाइनल पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण में बीएलओ को यह भी सिखाया जाएगा कि मतदाता सूची (01 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि अनुसार) में शामिल 01 जुलाई 1987 से पूर्व, 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के मध्य तथा 02 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं की पहचान और आंकलन कैसे करना है। वही विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बिलाड़ा विधानसभा के बीएलओ व सुपरवाइज की ट्रेनिंग के तहत 31 जुलाई व 1 अगस्त को भी प्रशिक्षण होगा।

दैनिक नवज्योति

विधानसभा क्षेत्र 128 जोधपुर के बीएलओ का प्रशिक्षण प्रारंभ

नवज्योति/जोधपुर। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र 128 जोधपुर के बीएलओ का जिला स्तरीय प्रशिक्षण 30 जुलाई से 1 अगस्त तक तीन बैचों में प्रारंभ हुआ। डीएलएसआर सभागार, गांधी मैदान में आयोजित इस प्रशिक्षण में ईआरओ एवं एडीएम सिटी उदयभानु चारण, एईआरओ सर्वेश्वर निम्बार्क उपस्थित रहे। प्रशिक्षण का संचालन डीएलएमटी प्रिन्स व्यास तथा एएलएमटी टीम ने किया। प्रशिक्षण में बीएलओ को मतदाता सूची 2002 और वर्तमान सूची 2025 का तुलनात्मक विश्लेषण, मतदाता दस्तावेजों की जांच, ऑनलाइन गणना फार्म भरने की प्रक्रिया, रोल प्ले के माध्यम से लाइव प्रदर्शन और ऑनलाइन मूल्यांकन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के अंत में गूगल फॉर्म के माध्यम से असाइनमेंट और फीडबैक लिया गया। प्रशिक्षण में गुलाब रब्बानी, गौरव सिंह, सुरेश चौधरी और महिपाल चौधरी का सराहनीय सहयोग रहा।

दैनिक जलते दीप

विधानसभा क्षेत्र 128 के बीएलओ का जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत तीन बैचों में होगा आयोजन

जोधपुर, 30 अगस्त (कासं)। भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर व जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर के प्राप्त निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र 128 जोधपुर के समस्त बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) का जिला स्तरीय प्रशिक्षण 30 जुलाई से 1 अगस्त की निर्धारित अवधि में तीन बैचों में आयोजित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण में आज ईआरओ एवं एडीएम सिटी जोधपुर उदयभानु चारण तथा एईआरओ एवं

तहसीलदार सर्वेश्वर निम्बार्क उपस्थित रहे। यह प्रशिक्षण कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, गांधी मैदान स्थित डीएलएसआर सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डीएलएमटी एवं एएलएमटी द्वारा विधानसभा क्षेत्र 128 जोधपुर के समस्त बूथ स्तरीय अधिकारियों व पर्यवेक्षकों का क्षमता संवर्द्धन ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है। उदयभानु चारण ने अवगत कराया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार डीएलएमटी प्रिन्स व्यास तथा एएलएमटी शकील अहमद, शौकत अली लोहिया, मुकेश अग्रवाल, योगेश जोशी एवं मनीष देव द्वारा बीएलओ की भूमिका व कर्तव्यों, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, मतदाता सूची 2002 व वर्तमान 2025 सूची का मेल कर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी बिंदुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बीएलओ को मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया, गणना फार्म भरने का ऑनलाईन अभ्यास, रोल प्ले के माध्यम से लाईव प्रस्तुतीकरण, ऑनलाईन मूल्यांकन तथा संदेह समाधान पर भी मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण में गुलाम रब्बानी, गौरव सिंह घाणेराव, सुरेश चौधरी एवं महिपाल चौधरी का सहयोग रहा।

फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ का प्रशिक्षण जारी

सच मीडिया

जोधपुर, 30 जुलाई। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Summery Revision) के अंतर्गत डीएलएमटी (DLMTs) एवं एएलएमटी (ALMTs) द्वारा बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

जिला प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर शहर (प्रथम) जोधपुर श्री उदयभानु चारण ने बताया कि बुधवार को विधानसभा क्षेत्र 124-शेरगढ़ में पंचायत समिति सभागार, शेरगढ़ एवं सेखाला, उपखण्ड कार्यालय बालेसर, 125-ओसियां में पंचायत समिति सभागार, ओसियां एवं पंचायत समिति अम्बेडकर भवन, तिंवरी, 126-भोपालगढ़ में पंचायत समिति सभागार, भोपालगढ़, 127-सरदारपुरा में रा.बा.उ.मा.वि. महामंदिर लाल मैदान, जोधपुर, 128-जोधपुर में डीएलएसआर हॉल, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गांधी मैदान, 129-सूरसागर में पी.एम. श्री राउ.मा.वि. सिंवाची गेट, द्वितीय पुलिया, चौ.हा.बो., जोधपुर, 130-लूणी में पंचायत समिति सभागार पाल रोड, लूणी तथा 131-बिलाड़ा में राजकीय आई.टी.आई. कॉलेज हॉल संख्या-01 एवं 02 में बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण दो पारियों में आयोजित किया जा रहा है। चारण ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान समस्त बीएलओ को विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसमें 1 जनवरी 2002 की मतदाता सूची में से 1 जुलाई 1987 से पूर्व के, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य के तथा 2 दिसंबर 2004 के बाद के मतदाताओं की संख्या का आकलन एवं पहचान करने की प्रक्रिया समझाई जा रही है।

बीएलओ का जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत तीन बैचों में होगा प्रशिक्षण

विश्वास एक्सप्रेस

जोधपुर। भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर व जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर के प्राप्त निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र 128 जोधपुर के समस्त बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है जो तीन अगस्त तक तीन बैचों में आयोजित किया जाएगा।

प्रशिक्षण में बुधवार को ईआरओ एवं एडीएम सिटी जोधपुर उदयभानु चारण तथा एईआरओ एवं तहसीलदार सर्वेश्वर निम्बार्क प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित रहे। यह प्रशिक्षण कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, गांधी मैदान स्थित डीएलएसआर सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डीएलएमटी एवं एएलएमटी द्वारा विधानसभा क्षेत्र 128 जोधपुर के समस्त बूथ स्तरीय अधिकारियों व पर्यवेक्षकों का क्षमता संवर्द्धन ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है। उदयभानु चारण ने अवगत कराया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार डीएलएमटी श्री प्रिन्स व्यास तथा एएलएमटी शकील अहमद, शौकत अली लोहिया, मुकेश अग्रवाल, योगेश जोशी एवं मनीष देव द्वारा बीएलओ की भूमिका व कर्त्तव्यों, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, मतदाता सूची 2002 व वर्तमान 2025 सूची का मेल कर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी बिंदुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बीएलओ को मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया, गणना फार्म भरने का ऑनलाईन अभ्यास, रोल प्ले के माध्यम से लाईव प्रस्तुतीकरण, ऑनलाईन मूल्यांकन तथा संदेह समाधान पर भी मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण समापन पर सभी बीएलओ से गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाईन असाइनमेंट एवं प्रशिक्षण का फीडबैक लिया गया। प्रशिक्षण के आयोजन में गुलाब रब्बानी, गौरव सिंह घाणेराव, सुरेश चौधरी एवं महिपाल चौधरी का विशेष सहयोग रहा।

दैनिक पर्यटन बाजार

विधानसभा क्षेत्र 128 जोधपुर के बीएलओ का जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत तीन बैचों में होगा प्रशिक्षण आयोजन

दैनिक पर्यटन बाजार

जोधपुर। भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर व जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर के प्राप्त निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र 128 जोधपुर के समस्त बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) का जिला स्तरीय प्रशिक्षण 30 जुलाई से 01 अगस्त 2025 की निर्धारित अवधि में तीन बैचों में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में 30 जुलाई को ईआरओ एवं एडीएम सिटी जोधपुर उदयभानु चारण तथा एईआरओ एवं तहसीलदार सर्वेश्वर निम्बार्क प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित रहे। यह प्रशिक्षण कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, गांधी मैदान स्थित डीएलएसआर सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डीएलएमटी एवं एएलएमटी द्वारा विधानसभा क्षेत्र 128 जोधपुर के समस्त बूथ स्तरीय अधिकारियों व पर्यवेक्षकों का क्षमता संवर्द्धन ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है।

उदयभानु चारण ने अवगत कराया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार डीएलएमटी प्रिन्स व्यास तथा एएलएमटी शकील अहमद, शौकत अली लोहिया, मुकेश अग्रवाल, योगेश जोशी एवं मनीष देव द्वारा बीएलओ की भूमिका व कर्त्तव्यों, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, मतदाता सूची 2002 व वर्तमान 2025 सूची का मेल कर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी बिंदुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण में बीएलओ को मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया, गणना फार्म भरने का ऑनलाईन अभ्यास, रोल प्ले के माध्यम से लाईव प्रस्तुतीकरण, ऑनलाईन मूल्यांकन तथा संदेह समाधान पर भी मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण समापन पर सभी बीएलओ से गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाईन असाइनमेंट एवं प्रशिक्षण का फीडबैक लिया गया। प्रशिक्षण के सफल आयोजन में गुलाब रब्बानी, गौरव सिंह घाणेराव, सुरेश चौधरी एवं महिपाल चौधरी का विशेष सहयोग रहा।

जिले के बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत बुधवार को जिले की समस्त विधानसभाओं के बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से निर्वाचन विभाग राजस्थान के निदेशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्मिकों की क्षमता संवर्द्धन किया गया। दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा प्रतिभागियों को मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नामों को जोड़ने-हटाने और त्रुटियों को सुधारने जैसी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया।

प्रशिक्षकों ने बीएलओ और सुपरवाइजर्स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। कार्यशाला में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण की पूर्व तैयारियों और इसके निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया।

बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने, मृत या स्थानांतरित हुए मतदाताओं के नाम हटाने और त्रुटियों को सुधारने के तरीके सिखाए गए। साथ ही उन्हें आने वाली संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई।

इस दौरान संवैधानिक प्रावधानों एवं वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूची 2002 एवं मतदाता सूची 2025 के आधार पर मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 01 दस्तावेज लेना है। द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 02 दस्तावेज लिये जाने है, जिसमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते है।

तृतीय श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके तीन दस्तावेज लिये जाने है, जिनमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01-01 दस्तावेज माता और पिता का लिया जाना है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, उनसे गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं लेना है।

पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 पर कलेक्टर ने की राजस्व अधिकारियों से गहन चर्चा

पारदर्शिता से कागजी कार्रवाई को कम कर डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावें :यादव

भास्कर न्यूज | बालोतरा

कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने बुधवार को राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस बैठक में बूथ लेवल अधिकारी व सुपरवाइजरों के चल रहे प्रशिक्षण की जानकारी ली गई, साथ ही पारदर्शिता व डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने हाल ही में आयोजित बीएलओ व सुपरवाइजर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

बालोतरा . कलेक्ट्रेट परिसर में पुनरीक्षण कार्यक्रम पर राजस्व अधिकारियों से चर्चा करते कलेक्टर।

उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता कैसी रही और क्या सभी कार्मिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अपनी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट समझ है। इस दौरान कुछ उपस्थित बीएलओ से भी कलेक्टर यादव ने सीधे संवाद कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के बारे में उनकी समझ और फील्ड में आने वाली चुनौतियों के बारे में जाना।

यादव ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अद्यतन बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, और इसमें बीएलओ और सुपरवाइजरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत सभी कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करें। उन्होंने डिजिटल प्रक्रिया को प्रमोट करने के भी निर्देश दिए। कहा कि जहां भी संभव हो, कागजी कार्रवाई को कम किया जाएं और तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर प्रक्रिया को अधिक सुगम व तेज बनाया जाएं। उन्होंने जिले में कार्यरत समस्त राजकीय एवं संविदा कार्मिकों को गणना प्रपत्र स्वयं के स्तर पर डाउनलोड करने एवं अपलोड करने के निर्देश दिए।

मतदाता सूची के अनुसार वर्गीकरण कर लें दस्तावेज

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 1 दस्तावेज लेना है। द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 2 दस्तावेज लिए जाने है, जिसमें 1 दस्तावेज स्वयं का एवं 1 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते हैं। तृतीय श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके तीन दस्तावेज लिए जाने है, जिनमें 1 दस्तावेज स्वयं का एवं 1-1 दस्तावेज माता-पिता का लिया जाना है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, उनसे गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं लेना है। बैठक के दौरान एडीएम डॉ. गुंजन सोनी, उपखंड अधिकारी अशोक कुमार, पचपदरा तहसीलदार गोपीकिशन पालीवाल समेत प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

पारदर्शिता के साथ डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा दें : जिला कलक्टर

नवज्योति/बालोतरा।

जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने बुधवार को राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजरों के चल रहे प्रशिक्षण की जानकारी ली गई। साथ ही पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।बैठक में जिला कलक्टर यादव ने हाल ही में आयोजित बीएलओ और सुपरवाइजर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कुछ उपस्थित बीएलओ से भी जिला कलक्टर यादव ने सीधे संवाद कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के बारे में उनकी समझ और फील्ड में आने वाली चुनौतियों के बारे में जाना। यादव ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अद्यतन बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित की जाए, ताकि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। उन्होने जिले में कार्यरत समस्त राजकीय एवं संविदा कार्मिकों को गणना प्रपत्र स्वयं के स्तर पर डाउनलोड करने एवं अपलोड करने के निर्देश दिए।

मतदाता सूची के अनुसार वर्गीकरण कर ले

आवश्यक दस्तावेज विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 01 दस्तावेज लेना है। द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 02 दस्तावेज लिए जाने है, जिसमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते है। तृतीय श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके तीन दस्तावेज लिये जाने है, जिनमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01-01 दस्तावेज माता और पिता का लिया जाना है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, उनसे गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं लेना है।

सोहड़ा के राजकीय विद्यालय में मतदाता साक्षरता क्लब का गठन

विद्यार्थियों ने जाना मतदान का महत्व

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोहड़ा में बुधवार को मतदाता साक्षरता क्लब का गठन किया गया। युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ना और उन्हें मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने में इस क्लब की महत्ती भूमिका है। क्लब के गठन के अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को लोकतंत्र में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्हें बताया गया कि कैसे मतदान एक नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका प्रयोग देश के भविष्य को आकार देने में कैसे सहायक होता है। विद्यार्थियों को निष्पक्ष और जिम्मेदारी से मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी मूलभूत जानकारी भी दी गई, जिससे वे भविष्य में सक्रिय और जागरूक मतदाता बन सकें। यह पहल उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगी।

2 / 4

सोहड़ा के राजकीय विद्यालय में मतदाता साक्षरता क्लब का गठन, विद्यार्थियों ने जाना मतदान का महत्व

नवज्योति/गिड़ा।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोहड़ा में बुधवार को मतदाता साक्षरता क्लब का गठन किया गया। युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोडना और उन्हें मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने में इस क्लब की महत्ती भूमिका है। क्लब के गठन के अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को लोकतंत्र में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्हें बताया गया कि कैसे मतदान एक नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका प्रयोग देश के भविष्य को आकार देने में कैसे सहायक होता है। विद्यार्थियों को निष्पक्ष और जिम्मेदारी से मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी मूलभूत जानकारी भी दी गई, जिससे वे भविष्य में सक्रिय और जागरूक मतदाता बन सकें।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चानियों की ढाणी में निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन, छात्रों ने ली लोकतांत्रिक शपथ

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चानियों की ढाणी, जवाहरपुरा में बुधवार को मतदाता साक्षरता क्लब का विधिवत गठन किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जो उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दशार्ता है। ईएलसी प्रभारी अध्यापक मेहरा राम और सह प्रभारी अध्यापक कालूराम ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों, जो 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं को लोकतंत्र में उनके महत्वपूर्ण कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक मतदाता साक्षरता क्लब का गठन किया गया। इस क्लब में कक्षा 11 के एक छात्र को चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन बनाया गया, जबकि अन्य 18 विद्यार्थियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों और समुदाय के बीच मतदाता जागरूकता फैलाने का काम करेगी। मतदाता साक्षरता क्लब के माध्यम से बच्चों को मतदान के महत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के प्रति जागरूक किया गया। इन गतिविधियों का लक्ष्य युवा मन में मतदान के अधिकार के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना है, जिससे वे भविष्य में सक्रिय और जागरूक मतदाता बन सकें।

राजकीय विद्यालय में निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन

छात्रों ने ली लोकतांत्रिक शपथ

नवज्योति/बालोतरा।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चानियों की ढाणी, जवाहरपुरा में बुधवार को मतदाता साक्षरता क्लब का विधिवत गठन किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जो उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दशार्ता है।ईएलसी प्रभारी अध्यापक मेहरा राम और सह प्रभारी अध्यापक कालूराम ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों, जो 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं को लोकतंत्र में उनके महत्वपूर्ण कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक मतदाता साक्षरता क्लब का गठन किया गया। इस क्लब में कक्षा 11 के एक छात्र को चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन बनाया गया, जबकि अन्य 18 विद्यार्थियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों और समुदाय के बीच मतदाता जागरूकता फैलाने का काम करेगी।

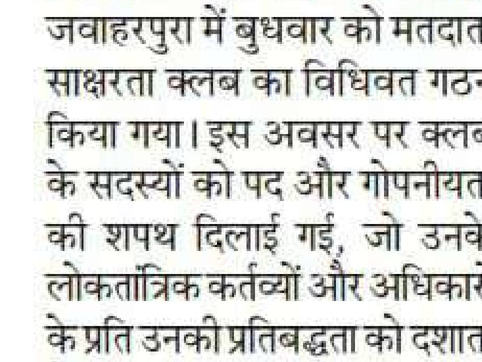

प्रपत्र संख्या 7

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर (राज.)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959

की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

नोटिस

पत्रावली संख्या :- 14/2025/ बाड़मेर

प्रकाशचंद संखलेचा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(1) के अंतर्गत **जैन भोजनशाला, स्टेशन रोड, बाड़मेर** प्रन्यास के संबंध में जांच किये जाने के लिये निवेदन किया है। अतएव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 (साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। आगामी पेशी तारीख 24.09.2025 को रखी गयी है। और यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच वांछित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर

राजकीय स्कूल में मतदाता साक्षरता क्लब का गठन

बालोतरा | राउमावि सोहड़ा में बुधवार को मतदाता साक्षरता क्लब का गठन किया गया। युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ना और उन्हें मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने में इस क्लब की महत्ती भूमिका है। क्लब के गठन के अवसर पर स्कूल के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को लोकतंत्र में उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में विस्तार से समझाया।

उन्हें बताया गया कि कैसे मतदान एक नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका प्रयोग देश के भविष्य को आकार देने में कैसे सहायक होता है। विद्यार्थियों को निष्पक्ष और जिम्मेदारी से मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी मूलभूत जानकारी भी दी गई, जिससे वे भविष्य में सक्रिय और जागरूक मतदाता बन सकें। यह पहल उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगी।

जिले के बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों की प्रशिक्षण कार्यशाला

भास्कर न्यूज | बालोतरा

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत बुधवार को जिले की समस्त विधानसभाओं के बूथ लेवल अधिकारी व सुपरवाइजर्स की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई।

इस कार्यशाला के माध्यम से निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्मिकों की क्षमता संवर्द्धन किया गया। दक्ष प्रशिक्षकों की ओर से प्रतिभागियों को मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नामों को जोड़ने-हटाने व त्रुटियों को सुधारने जैसी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। प्रशिक्षकों ने बीएलओ व सुपरवाइजरों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में पूरी संवेदनशीलता व सतर्कता के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। कार्यशाला में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण की पूर्व तैयारियों और इसके निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने, मृत या स्थानांतरित हुए मतदाताओं के नाम हटाने व त्रुटियों को सुधारने के तरीके सिखाए गए। साथ ही उन्हें आने वाली संभावित चुनौतियों व उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। इस दौरान संवैधानिक प्रावधानों एवं वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूची 2002 एवं मतदाता सूची 2025 के आधार पर मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 1 दस्तावेज लेना है। द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 2 दस्तावेज लिए जाने है, जिसमें 1 दस्तावेज स्वयं का एवं 1 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते है। तृतीय श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके तीन दस्तावेज लिए जाने है, जिनमें 1 दस्तावेज स्वयं का एवं 1- 1 दस्तावेज माता और पिता का लिया जाना है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, उनसे गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं लेना है।

स्कूल में निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन, छात्रों ने ली लोकतंत्र की शपथ

भास्कर न्यूज़ | पाटोदी

राउमावि चानियों की ढाणी जवाहरपुरा में बुधवार को मतदाता साक्षरता क्लब का विधिवत गठन किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जो उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ईएलसी प्रभारी अध्यापक मेहराराम व सह प्रभारी अध्यापक कालूराम ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों, जो 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं को लोकतंत्र में उनके महत्वपूर्ण कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया।

पाटोदी. मतदान साक्षरता क्लब का गठन करते हुए।

मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक मतदाता साक्षरता क्लब का गठन किया गया। इस क्लब में कक्षा 11 के एक छात्र को चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन बनाया गया, जबकि अन्य 18 विद्यार्थियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति स्कूल स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों और समुदाय के बीच मतदाता जागरूकता फैलाने का काम करेगी। मतदाता साक्षरता क्लब के माध्यम से बच्चों को मतदान के महत्व व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के प्रति जागरूक किया गया। इन गतिविधियों का लक्ष्य युवा मन में मतदान के अधिकार के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना है, जिससे वे भविष्य में सक्रिय और जागरूक मतदाता बन सकें।

दैनिक भास्कर

मेड़ता भास्कर 31-07-2025

मेड़ता में बीएलओ और सुपरवाइजरों को दिया प्रशिक्षण

मेड़ता सिटी। गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में बीएलओ और सुपरवाइजरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान 50 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को आगामी पुनरीक्षण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पूनम चौधरी ने की। प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी नागौर के निर्देशन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण सत्र के दौरान अधिकारियों को मतदाता गणना पत्रक भरने, बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने और पुनरीक्षण अभियान से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने ऑनग्राउंड अभ्यास भी करवाया, जिससे सभी प्रतिभागियों को वास्तविक कार्य में आने वाली चुनौतियों की तैयारी कराई जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण जिला स्तरीय अधिकारियों मानाराम पचार, चिरंजीलाल और नवलचंद ने किया। डीएलएमटी राजेन्द्र प्रसाद चौहान ने पीपीपी के माध्यम से ऑनलाइन-ऑफलाइन कार्य प्रणाली समझाई। सूरज नारायण चौहान ने आवश्यक दस्तावेजों और उनकी पूर्ति की जानकारी दी, जबकि बाबूलाल डांगा ने बीएलओ व सुपरवाइजर के सामान्य कार्यों पर चर्चा की। प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों को मुकेश डांगा, सुखाराम गोदारा और हनुमानराम ने संबोधित किया।

पत्रिका

वोटर का शत प्रतिशत सत्यापन कर ड्राफ्ट तैयार करें

बीएलओ प्रशिक्षण शिविर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जायल. मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र के भाग 105 से भाग 154 तक के बीएलओ प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया।

निर्वाचक रजीस्ट्रीकरण पदाधिकारी रजत ने बताया कि बीएलओ को 2025 की मतदाता सूची को शून्य मानकर सभी वोटर का शत प्रतिशत सत्यापन करके ही ड्राफ्ट तैयार करना है।

प्रशिक्षक एसीबीईओ उमरदीन छींपा, जगदीश डिडेल, रामपाल सिंगाटिया ने बताया कि एसआईआर के तहत होने वाले पुनरीक्षण में

जायल. उपखण्ड अधिकारी बीएलओ को प्रशिक्षण देते हुए।

निर्वाचक नामावलियों का अद्यतन करने के लिए समस्त मतदाताओं की तीन श्रेणियों में वांछित दस्तावेज बीएलओ के पास जमा करवाने हैं। जिन मतदाता का नाम 2002 की मतदाता सूची में शामिल हैं, उनको कोई अन्य दस्तावेज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं हैं। उन्हें 2002 की मतदाता सूची के अपने नाम वाले पृष्ट की प्रतिलिपि जमा करवानी हैं। ईआरओ कार्यालय से पूर्व में छपे हुए गणना प्रपत्र के माध्यम से सूची तैयार करना है। गणना प्रपत्र में मतदाता को अपने दस्तावेज बीएलओ को उपलब्ध करवाना हैं। मतदाता स्वयं भी गणना प्रपत्र निर्वाचन आयोग की साइट पर अपलोड कर सकता है। इसके पश्चात ईआरओनेट के माध्यम से मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा। गणना प्रपत्र जमा नहीं होने की स्थिति में ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं छापेगा। निर्वाचन शाखा प्रभारी नन्द किशोर, ओमप्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार स्वामी ने तीन श्रेणियों की विस्तार से जानकारी दी।

31/07/2025 | Nagaur | Page : 12
Source : https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

एसआइआर : बीएलओ और सुपरवाइजरों को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मेड़ता सिटी. पंचायत समिति सभागार में बुधवार को आगामी गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 को लेकर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्र के 50 बीएलओ और सुपरवाइजर शामिल हुए।कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी पूनम चौधरी ने अधिकारियों को उनके कार्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी दी। दक्ष प्रशिक्षक बाबूलाल डांगा ने बीएलओ ऐप पर गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया और विशेष पुनरीक्षण के चरणों की विस्तार से जानकारी साझा की। डीएलएमटी राजेन्द्र प्रसाद चौहान ने पीपीटी के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्य प्रणाली समझाई, वहीं सूरज नारायण चौहान ने पुनरीक्षण कार्य के दौरान जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान सभी उपस्थित अधिकारियों से गणना प्रपत्र भरवाए गए ताकि उन्हें व्यावहारिक अनुभव हो सके। इस मौके पर बीएलओ अशोक कुमार, रामकरण, महेन्द्र कुमार पारीक, सीताराम डांगा, डिंपल शर्मा, महेन्द्र खोखर सहित चुनाव शाखा के कर्मचारी उपस्थित रहे।

31/07/2025 | Merta | Page : 9
Source : https://epaper.patrika.com/

राजस्थान पत्रिका

31 जुलाई 2025
पेज नंबर 05

बीएलओ पुनरीक्षण प्रशिक्षण शुरू

बड़ीसादड़ी. विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ लेवल अधिकारियों का मतदाता सूची पुनरीक्षण शिविर मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण व उपखंड अधिकारी प्रवीण कुमार मीणा की अध्यक्षता में शुरू हुआ। शिविर में भाग संख्या 1 से 75 तक के बीएलओ को मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार डूंगला गुणवंत माली, तहसीलदार बड़ीसादड़ी पंकज कलसुआ, श्रवण कुमार, प्रद्युम्न मेहता उपस्थित रहे।

बूथ लेवल अधिकारियों को गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण

■ निर्भीक राजस्थान

करौली, 30 जुलाई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी प्रेमराज मीणा ने बताया कि मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र करौली हेतु नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों, पर्यवेक्षकों का 50-50 के बैच में भाग संख्या 151 से 200 तक का पंचायत समिति सभागार करौली में बुधवार को जिला स्तरीय व विधान सभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में बूथ लेवल अधिकारियों को बताया गया कि वर्तमान मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, उनका सत्यापन किया जाना है। सभी मतदाताओं से गणना फार्म भरवाने की प्रक्रिया के बारे में पीपीटी के माध्यम से बताया गया।

समस्त बीएलओ, सुपरवाईजर को मनीष पाठक जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर, रविन्द्र सिंह धनवाल, विजेन्द्र प्रसाद शर्मा, घनश्याम जाटव, शेलेन्द्र कुमार बागोरिया, लखन लाल माली विधान सभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं डाउट सैशन में सम्बंधित के डाउट क्लीयर किये गये। इस अवसर पर तहसीलदार चुनाव अब्दुल कवि, चुनाव प्रभारी नन्दकिशोर व्यास एवं सहायक प्रोग्रामर विजय सिंह मीना आदि मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर करौली 31-07-2025

विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए बूथ लेवल अधिकारी और पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण

हिंडौन सिटी| निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 50-50 के बैच में अब तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिण्डौन के 200 बूथ लेवल अधिकारियों व 25 पर्यवेक्षको का पंचायत समिति हिण्डौन के सभागार में प्रशिक्षण दिया। एसडीएम हेमराज गुर्जर ने बताया कि प्रशिक्षण में बूथ लेवल अधिकारियों को बताया गया कि वर्तमान मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम दर्ज है, उनका सत्यापन किया जाना है। सभी मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाने की पूर्ण प्रक्रिया तथा गहन पुनरीक्षण के संवैधानिक प्रावधानों व इसकी तैयारियों बारे में प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर योगेश शर्मा, राजवीर सिंह डागुर, आंनद शर्मा, लक्ष्मण गुप्ता, मनीष भारद्वाज, ओमप्रकाश जाटव, नितिन कुमार मौजूद रहे।

सागवाड़ा विधानसभा के 267 बीएलओ एवं 27 सुपरवाइजर का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण आयोजित

मतदाता सूची सटीक,पारदर्शी एवं विश्वनीय बनाएं-जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह

आत्मा की ज्वाला डूंगरपुर।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची सटीक पारदर्शी एवं विश्वनीय बनाए जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने यह जानकारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार को आयोजित वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर में विधानसभा सागवाड़ा के अंतर्गत नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ), सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण शिविर में दी । इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर को संबोधित करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि विधानसभा में नियुक्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर द्वारा मतदाता नामावली को पूरी तरह से जांचने की प्रक्रिया है जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नाम को सूची में शामिल करने और अपात्र नाम को हटाने का कार्य किया जाता है, ताकि मतदाता सूची में सटीकता पारदर्शिता एवं विश्वनीयता बनी रहे । साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाताओं को श्रेणी के अनुसार दस्तावेज संलग्न करने करें किसी भी प्रकार की असमंज की स्थिति न रहे।

अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेशचंद्र धाकड़ ने बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण पुरानी नामावली के शोध एवं अद्यतन करने की प्रक्रिया है। तथा उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की नियमावली को ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2025 को विधानसभा डूंगरपुर के नियुक्त 247 बीएलओ 25 सुपरवाइजर को वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा । आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण में विधानसभा सागवाड़ा के नियुक्त 267 बीएलओ एवं 27 सुपरवाइजर को पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। दक्ष मास्टर ट्रेनर वैभव पाठक ने मतदाताओं की श्रेणी के अनुसार वंचित दस्तावेज सलंग्न करने की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान विधानसभा सागवाड़ा के नियुक्त समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे ।

मतदाता सूची सटीक, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाएं : सिंह

सागवाड़ा विधानसभा के 267 बीएलओ एवं 27 सुपरवाइजर का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण आयोजित

(अर्जेन्ट टाईम्स) डूंगरपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची सटीक पारदर्शी एवं विश्वनीय बनाए। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने यह जानकारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार को आयोजित वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर में विधानसभा सागवाड़ा के अंतर्गत नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ), सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण शिविर में दी। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर को संबोधित करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि विधानसभा में नियुक्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर द्वारा मतदाता नामावली को पूरी तरह से जांचने की प्रक्रिया है जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नाम को सूची में शामिल करने और अपात्र नाम को हटाने का कार्य किया जाता है, ताकि मतदाता सूची में सटीकता पारदर्शिता एवं विश्वनीयता बनी रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाताओं को श्रेणी के अनुसार दस्तावेज संलग्न करने करें, किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति न रहे।

अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेशचंद्र धाकड़ ने बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण पुरानी नामावली के शोध एवं अद्यतन करने की प्रक्रिया है तथा उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की नियमावली को ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2025 को विधानसभा डूंगरपुर के नियुक्त 247 बीएलओ, 25 सुपरवाइजर को वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण में विधानसभा सागवाड़ा के नियुक्त 267 बीएलओ एवं 27 सुपरवाइजर को पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। दक्ष मास्टर ट्रेनर वैभव पाठक ने मतदाताओं की श्रेणी के अनुसार वंचित दस्तावेज सलंग्न करने की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान विधानसभा सागवाड़ा के नियुक्त समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

दैनिक नवज्योति banswara-dungarpur - 31 Jul 2025 - Page 7

मतदाता सूची को बनाएं सटीक, पारदर्शी एवं विश्वनीय

सागवाड़ा विधानसभा के 267 बीएलओ वं 27 सुपरवाइजर का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण

डूंगरपुर। बीएलओ एवं सुपरवाइजर का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण के दौरान संबोधित करते हुए।-मयंक चौबीसा

न्यूज सर्विस/नवज्योति, डूंगरपुर

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची सटीक पारदर्शी एवं विश्वनीय बनाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने यह जानकारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार को आयोजित वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर में विधानसभा सागवाड़ा के तहत नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ, सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण शिविर में दी।

उन्होंने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि विधानसभा में नियुक्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर द्वारा मतदाता नामावली को पूरी तरह से जांचने की प्रक्रिया है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नाम को सूची में शामिल करने और अपात्र नाम को हटाने का कार्य किया जाता है, ताकि मतदाता सूची में सटीकता पारदर्शिता एवं विश्वनीयता बनी रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि, मतदाताओं को श्रेणी के अनुसार दस्तावेज संलग्न करने करें किसी भी प्रकार की असमंज की स्थिति न रहे।

अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़ ने बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण पुरानी नामावली के शोध एवं अद्यतन करने की प्रक्रिया है तथा भारत निर्वाचन आयोग की नियमावली को ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को विधानसभा डूंगरपुर के नियुक्त 247 बीएलओ 25 सुपरवाइजर को वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण में विधानसभा सागवाड़ा के नियुक्त 267 बीएलओ एवं 27 सुपरवाइजर को पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। दक्ष मास्टर ट्रेनर वैभव पाठक ने मतदाताओं की श्रेणी के अनुसार वंचित दस्तावेज सलंग्न करने की विस्तृत जानकारी दी एवं इस दौरान विधानसभा सागवाड़ा के नियुक्त समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर डूंगरपुर भास्कर 31-07-2025

सागवाड़ा विधानसभा के 267 बीएलओ और 27 सुपरवाइजर का प्रशिक्षण

डूंगरपुर| वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय में बुधवार को सागवाड़ा विधानसभा के 267 बीएलओ और 27 सुपरवाइजर का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने कहा कि मतदाता सूची को सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना जरूरी है। इसके लिए बीएलओ और सुपरवाइजर को पूरी जिम्मेदारी से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ें। अपात्र नाम हटाएं। मतदाताओं से श्रेणी के अनुसार दस्तावेज लें। कोई भ्रम की स्थिति न बने। प्रशिक्षण में पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी गई। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़ ने कहा कि संक्षिप्त पुनरीक्षण पुरानी नामावली के शोध और अद्यतन की प्रक्रिया है। सभी को आयोग की नियमावली के अनुसार कार्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को डूंगरपुर विधानसभा के 247 बीएलओ और 25 सुपरवाइजर को भी इसी स्थान पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर वैभव पाठक ने दस्तावेज संलग्न करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया।

दैनिक भास्कर डीडवाना कुचामन भास्कर 31-07-2025

कलेक्टर ने बीएलओ प्रशिक्षण का निरीक्षण कर दिए निर्देश, अस्पताल की व्यवस्थाएं जांची

जलभराव, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, कचरा संग्रहण, यातायात, पेयजल पर चर्चा की

भास्कर न्यूज़ | लाडनूं

कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत बुधवार को लाडनूं उपखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीएलओ प्रशिक्षण शिविर, उपजिला अस्पताल और विभिन्न विभागीय कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिला कलक्टर सबसे पहले पंचायत समिति सभागार पहुंचे, जहां बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ और सुपरवाइजर को गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया को गंभीरता से लागू करने और निर्वाचन विभाग के निर्देशों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद उपखंड अधिकारी कार्यालय में सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें जलभराव, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, कचरा संग्रहण, यातायात, पेयजल और बिजली जैसी व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए सभी विभाग समन्वय से काम करें और आमजन को राहत मिले, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद डॉ. खड़गावत ने लाडनूं उपजिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, तहसीलदार अनिरुद्ध देव पांडे, विकास अधिकारी कुमुद सोलंकी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

लाडनूं. अस्पताल का निरीक्षण करते कलेक्टर।

दैनिक नवज्योति
nagaur - 31 Jul 2025 - Page 5

बीएलओ को दिया प्रशिक्षण

मकराना। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (मुख्यालय) महेंद्र कुमार मीणा ने बुधवार को मकराना के पंचायत समिति सभागार में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की बैठक लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से जो निर्देश जारी किये गये है उन के अनुसार हर एक बीएलओ को कार्य करना है। कार्य में लापरवाही सहन नहीं होगी।

डेगाना। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 54 बूथ लेवल अधिकारियों तथा 6 पर्यवेक्षकों के तीसरे बैच को पंचायत समिति हॉल डेगाना में प्रशिक्षण दिया। जिला स्तरीय प्रशिक्षक तुलछाराम तथा विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षक अनिल कुमार शर्मा, हनुमान राम मेहरा, रवि गोदारा सोहनलाल गोदारा, रामेश्वर लाल जाट, सांवल राम, मोहम्मद आरिफ राजूराम, महावीर शर्मा ने प्रशिक्षण दिया।

परबतसर। परबतसर विधानसभा के भाग संख्या 114 में सुपरवाइजर एवं बीएलओ प्रशिक्षण शिविर में पंचायत समिति सभागार में द्वितीय बैच के सुपरवाइजर और बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण के मुख्य ब्लांक शिक्षा अधिकारी तहसीलदार हरेंद्र सिंह सहायक निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर ट्रैनर भंवरलाल हर्षवाल, विधानसभा स्तर मास्टर ट्रेनर्स कुनणा राम , व्याख्यता प्रदीप कुमार दिया गया। वहीं सहायक प्रभारी राजेंद्र प्रसाद मुडेल प्रधानाचार्य, राकेश कुमार वरिष्ठ सहायक,शिवापाल यादव, शोक कुमार कनिष्ठ सहायक मौजूद रहे।

जायल। उपखंड कार्यालय सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण में जायल विधानसभा क्षेत्र के भाग 53 से भाग 104 तक के बीएलओ को प्रशिक्षण दिया।उमरदीन छींपा, रामकुमार रेवाड, राजेश सिंवर ने बताया कि प्रशिक्षण में बीएलओ एवं अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में निर्वाचन शाखा प्रभारी नन्द किशोर, ओमप्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार स्वामी मौजूद रहे।

तीन श्रेणियों में होगा मतदाताओं का पुनरीक्षण, घर-घर जाएंगे बीएलओ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मकराना. पंचायत समिति सभागार में बुधवार को आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा ने बूथ लेवल अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता सूची में एक भी पात्र मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए। कार्यक्रम में दक्ष प्रशिक्षकों ने बीएलओ को मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी दी। जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे नागरिकों को केवल जन्मतिथि और जन्मस्थान बताना होगा, जबकि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे युवाओं को स्वयं के साथ माता-पिता के जन्म से संबंधित दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। 1987 से 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं के लिए स्वयं के साथ माता या पिता में से किसी एक के दस्तावेज अनिवार्य होंगे। प्रशिक्षक मनोज जांगिड़, तेजाराम और गणेशाराम ने गणना प्रपत्र में संशोधन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया, वही चुनाव प्रभारी भंवराराम ने दस्तावेजों की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। एसडीएम ने उपस्थित बीएलओ से आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी निष्ठा के साथ मतदाता सूची तैयार करें ताकि कोई पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रह जाए।

मकराना . मतदाता सूची को लेकर आवश्यक जानकारियां देते हुए।

दैनिक नवज्योति
chittorgarh-pratapgarh - 31 Jul 2025 - Page 7

बीएलओ को दिया गया एक दिवसीय गहन प्रशिक्षण

नवज्योति ब्यूरो, **प्रतापगढ़।** भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंजलि राजोरिया एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) अश्विन मालू के नेतृत्व में किया गया। एसडीएम अश्विन मालू ने बताया कि बुधवार को विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़-172 के मतदान केंद्र क्रमांक 51 से 100 तक के बीएलओ एवं सुपरवाइजर का प्रशिक्षण जिला परिषद सभागार, प्रतापगढ़ में आयोजित हुआ, वहीं मतदान केंद्र क्रमांक 201 से 250 तक के बीएलओ व सुपरवाइजर का प्रशिक्षण पंचायत समिति सभागार, अरनोद में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ एवं सुपरवाइजर को विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, इनुमरेशन फॉर्म, मतदाता से लिए जाने वाले 11 अनिवार्य दस्तावेजों की जानकारी दी गई। साथ ही नये नाम जोड़ने हेतु फॉर्म-6, विवरण में संशोधन हेतु फॉर्म-8 तथा नाम विलोपन हेतु फॉर्म-7 की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। सभी बीएलओ व सुपरवाइजर की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता का आंकलन किया जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंजलि राजोरिया एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिजयेश पाण्ड्या द्वारा किया गया। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उज्ज्वल जैन एवं महावीर प्रसाद जैन भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इधर, मालू ने बताया कि गुरुवार को मतदान केंद्र क्रमांक 101 से 150 तक के बीएलओ का प्रशिक्षण जिला परिषद सभागार प्रतापगढ़ में तथा मतदान केंद्र क्रमांक 251 से 274 तक के बीएलओ का प्रशिक्षण पंचायत समिति सभागार, अरनोद में आयोजित किया जाएगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, धरियावद में बीएलओ व सुपरवाइजरों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

गणना प्रपत्र भरने की विधि, घोषणा पत्र, उसकी विभिन्न श्रेणियों और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया गया

भास्कर न्यूज़ | धरियावद

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ लेवल अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण 28 जुलाई से 1 अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण में बीएलओ को गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया, वर्ष 2002 की मतदाता सूची को आधार मानकर किया जा रहा है। आयोग द्वारा वर्ष 2002 में उक्त कार्यक्रम किया गया था। अब 23 वर्ष के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम होगा। इसके लिए बीएलओ गणना प्रपत्र भरने की विधि, घोषणा पत्र तथा उसकी विभिन्न श्रेणियों (एबीसी) और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से बताया गया। श्रेणी ए में ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं, केवल गणना प्रपत्र देना होगा। एवं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है और जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन्हें गणना प्रपत्र के साथ स्वयं का एक दस्तावेज जमा करना होगा। श्रेणी बी में जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है और जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें गणना प्रपत्र के साथ स्वयं का दस्तावेज और माता/पिता में से किसी एक का दस्तावेज जमा करना होगा। श्रेणी सी में जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है और जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें गणना प्रपत्र के साथ स्वयं, माता और पिता तीनों के दस्तावेज जमा करने होंगे।

मान्य दस्तावेजों में सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, बैंक/डाकघर पासबुक, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर एवं निवास प्रमाणपत्र आदी शामिल हैं। प्रशिक्षण में बीएलओ एप के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टि करने की प्रक्रिया और डोर-टू-डोर सर्वे की पद्धति पर भी विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। यह प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर प्रवीन सिंह भाटी, केवलचंद लबाना, खेमराज मीणा, विजय कुमार मेघवाल, तेज सिंह राणावत, कन्हैयालाल सरवर, मनोज कुमार चौबीसा एवं राजेन्द्र, सुरेंद्र पाल सिंह द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

पत्रिका

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम

बीएलओ को प्रशिक्षण : मतदाता सूचियों में नहीं रहे कोई अशुद्धि

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

गंगापुरसिटी. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र गंगापुर के मतदान केन्द्र संख्या 1 से 120 तक के बूथ लेवल अधिकारियों एवं बीएलओ सुपरवाईजर्स को बुधवार को पंचायत समिति सभागार तथा नगरपरिषद सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर रामकिशोर मीना, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम.) बृजेन्द्र मीना मौजूद रहे। प्रशिक्षण में दक्ष प्रशिक्षक पवन कुमार जाट, जितेन्द्र कुमार, लक्ष्मण कुमार गुप्ता, अरूण वैश्य, मनोज कुमार जैन, लोकेश कुमार मीना, संजेश अग्रवाल, भूपेश कुमार गुप्ता, केदार लाल शर्मा, रूपसिंह मीना ने बूथ लेवल अधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण की जानकारी दी। बताया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची को आधार मानते हुए सभी मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाया जाना है। मतदाता सूची मे नाम जोडने, हटाने तथा संशोधन के लिए आवेदनों को भरने की प्रक्रिया की

गंगापुरसिटी. बीएलओ की बैठक को सम्बोधित करते एडीएम।

जानकारी दी। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बूथ लेबल अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोडना, मृतक एवं दोहरी प्रविष्टी एवं स्थानान्तरित मतदाताओं के नाम पृथक करने सम्बन्धी कार्यवाही की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची की किसी प्रविष्टी में कोई अशुद्धि न हो। साथ ही सभी मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज के साथ गणना प्रपत्र निर्धारित समय पर संग्रहित किया जाए।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम.) गंगापुरसिटी बृजेन्द्र मीना ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान गणना प्रपत्र कार्य के लिए बीएलओ के सहयोगार्थ आंगनबाडी कार्मिक, आशा सहयोगिनी एवं स्काउट गाईड की नियुक्ति की जाएगी। नगर परिषद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित कर मतदाताओं की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इस दौरान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम.) वजीरपुर सुधारानी मीना, तहसीलदार बृजेश कुमार शिहरा, नायब तहसीलदार वजीरपुर विजय जैन, नायब तहसीलदार कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भारत भूषण जैन व निर्वाचन लिपिक सतीश कुमार गर्ग, सहायक प्रोग्रामर पंकज कुमार गुप्ता उपस्थित रहे।

बालोतरा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 पर जिला कलक्टर यादव ने की राजस्व अधिकारियों से गहन चर्चा

पारदर्शिता के साथ डिजिटल प्रक्रिया को दे बढ़ावा: कलक्टर

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। जिला कलक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने बुधवार को राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस बैठक में बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजरों के चल रहे प्रशिक्षण की जानकारी ली गई, साथ ही पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के निर्देश दिये। बैठक में जिला कलक्टर श्री यादव ने हाल ही में आयोजित बीएलओ और सुपरवाइजर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता कैसी रही और क्या सभी कार्मिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अपनी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट समझ है। इस दौरान कुछ उपस्थित बीएलओ से भी जिला कलक्टर श्री यादव ने सीधे संवाद कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के बारे में उनकी समझ और फील्ड में आने वाली चुनौतियों के बारे में जाना। श्री यादव ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अद्यतन बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, और इसमें बीएलओ और सुपरवाइजरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत सभी कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित की जाए ताकि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल प्रक्रिया को प्रमोट करने के भी निर्देश दिए। उन्होने कहा कि जहां भी संभव हो, कागजी कार्रवाई को कम किया जाए और तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर प्रक्रिया को अधिक सुगम और तेज बनाया जाए। डिजिटल माध्यमों का उपयोग न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि कार्यकुशलता में भी सुधार लाएगा। उन्होने जिले में कार्यरत समस्त राजकीय एवं संविदा कार्मिको को गणना प्रपत्र स्वयं के स्तर पर डाउनलोड करने एवं अपलोड करने के निर्देश दिये।

मतदाता सूची के अनुसार वर्गीकरण कर ले आवश्यक दस्तावेज

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 01 दस्तावेज लेना है। द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 02 दस्तावेज जिये जाने है, जिसमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते है। तृतीय श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके तीन दस्तावेज लिये जाने है, जिनमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01-01 दस्तावेज माता और पिता का लिया जाना है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, उनसे गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं लेना है।

आवश्यक दस्तावेज

1. किसी केन्द्रीय सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन संदाय आदेश।
2. भारत में 01.07.1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ।
4. पासपोर्ट।
5. मान्यताप्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाणपत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र।
7. वन अधिकार प्रमाणपत्र।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अ.पि.व., अनु. जाति, अनु. जनजाति या कोई अन्य जाति प्रमाणपत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी विद्यमान हो)
10. राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भूमि अथवा गृह आवंटन प्रमाणपत्र।

इस बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. गुंजन सोनी, उपखण्ड अधिकारी अशोक कुमार, पचपदरा तहसीलदार गोपीकिशन पालीवाल समेत प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी माध्यम से जुड़े रहे।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चानियों की ढाणी में निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन, छात्रों ने ली लोकतांत्रिक शपथ

मरुमंच न्यूज

बालोतरा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चानियों की ढाणी, जवाहरपुरा में बुधवार को मतदाता साक्षरता क्लब का विधिवत गठन किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जो उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ईएलसी प्रभारी अध्यापक मेहरा राम और सह प्रभारी अध्यापक कालूराम ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों, जो 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं को लोकतंत्र में उनके महत्वपूर्ण कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक

मतदाता साक्षरता क्लब का गठन किया गया। इस क्लब में कक्षा 11 के एक छात्र को चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन बनाया गया, जबकि अन्य 18 विद्यार्थियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

यह समिति विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों और समुदाय के बीच मतदाता जागरूकता फैलाने का काम करेगी। मतदाता साक्षरता क्लब के माध्यम से बच्चों को मतदान के महत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के प्रति जागरूक किया गया। इन गतिविधियों का लक्ष्य युवा मन में मतदान के अधिकार के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना है, जिससे वे भविष्य में सक्रिय और जागरूक मतदाता बन सकें।

बालोतरा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 पर जिला कलक्टर यादव ने की राजस्व अधिकारियों से गहन चर्चा

पारदर्शिता के साथ डिजिटल प्रक्रिया को दे बढ़ावा: कलक्टर यादव

मरुमंच न्यूज

बालोतरा। जिला कलक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने बुधवार को राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस बैठक में बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजरों के चल रहे प्रशिक्षण की जानकारी ली गई, साथ ही पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के निर्देश दिये। बैठक में जिला कलक्टर श्री यादव ने हाल ही में आयोजित बीएलओ और सुपरवाइजर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता कैसी रही और क्या सभी कार्मिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अपनी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट समझ है। इस दौरान कुछ उपस्थित बीएलओ से भी जिला कलक्टर श्री यादव ने सीधे संवाद कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के बारे में उनकी समझ और फील्ड में आने वाली चुनौतियों के बारे में जाना। श्री यादव ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अद्यतन बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, और इसमें बीएलओ और सुपरवाइजरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी राजस्व

अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत सभी कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित की जाए, ताकि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल प्रक्रिया को प्रमोट करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी संभव हो, कागजी कारंवाई को कम किया जाए, और तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर प्रक्रिया को अधिक सुगम और तेज बनाया जाए। डिजिटल माध्यमों का उपयोग न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि कार्यकुशलता में भी सुधार लाएगा। उन्होंने जिले में कार्यरत समस्त राजकीय एवं संविदा कार्मिको को गणना प्रपत्र स्वयं के स्तर पर डाउनलोड करने एवं अपलोड करने के निर्देश दिये।

मतदाता सूची के अनुसार वर्गीकरण कर ले आवश्यक दस्तावेज

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 01 दस्तावेज लेना है। द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 02 दस्तावेज लिये जाने है, जिसमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते है। तृतीय श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके तीन दस्तावेज लिये जाने है, जिनमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01-01 दस्तावेज माता और पिता का लिया जाना है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, उनसे गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं लेना है।

आवश्यक दस्तावेज

1. किसी केन्द्रीय सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन संदाय आदेश।
2. भारत में 01.07.1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ।
4. पासपोर्ट।
5. मान्यताप्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाणपत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र।
7. वन अधिकार प्रमाणपत्र।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अ.पि.व., अनु. जाति, अनु. जनजाति या कोई अन्य जाति प्रमाणपत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी विद्यमान हो)
10. राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भूमि अथवा गृह आवंटन प्रमाणपत्र।

इस बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. गुंजन सोनी, उपखण्ड अधिकारी अशोक कुमार, पचपदरा तहसीलदार गोपीकिशन पालीवाल समेत प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी माध्यम से जुड़े रहे।

जिले के बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

मरुमंच न्यूज

बालोतरा। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत बुधवार को जिले की समस्त विधानसभाओं के बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से निर्वाचन विभाग राजस्थान के निदेर्शानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत नवीनतम दिशा-निदेर्शों के अनुसार निर्वाचन कार्मिकों की क्षमता संवर्द्धन किया गया। दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा प्रतिभागियों को मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नामों को जोड़ने-हटाने और त्रुटियों को सुधारने जैसी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया।

प्रशिक्षकों ने बीएलओ और सुपरवाइजर्स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। कार्यशाला में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण की पूर्व तैयारियों और इसके निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने, मृत या स्थानांतरित हुए मतदाताओं के नाम हटाने और त्रुटियों को सुधारने के तरीके सिखाए गए। साथ ही उन्हें आने वाली संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई।

इस दौरान संवैधानिक प्रावधानों एवं वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूची 2002 एवं मतदाता सूची 2025 के आधार पर मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 01 दस्तावेज लेना है। द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 02 दस्तावेज जिये जाने है, जिसमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते है।

सोहड़ा के राजकीय विद्यालय में मतदाता साक्षरता क्लब का गठन

विद्यार्थियों ने जाना मतदान का महत्व

मरुमंच न्यूज

बालोतरा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोहड़ा में बुधवार को मतदाता साक्षरता क्लब का गठन किया गया। युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ना और उन्हें मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने में इस क्लब की महत्ती भूमिका है। क्लब के गठन के अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को लोकतंत्र में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्हें बताया गया कि कैसे मतदान एक नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका प्रयोग देश के भविष्य को आकार देने में कैसे सहायक होता है। विद्यार्थियों को निष्पक्ष और जिम्मेदारी से मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी मूलभूत जानकारी भी दी गई, जिससे वे भविष्य में सक्रिय और जागरूक मतदाता बन सकें। यह पहल उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगी।

जिले के बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स की कार्यशाला आयोजित

नवज्योति/बालोतरा।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत बुधवार को जिले की समस्त विधानसभाओं के बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला के माध्यम से निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्मिकों की क्षमता संवर्द्धन किया गया। दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नामों को जोड़ने-हटाने और त्रुटियों को सुधारने जैसी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। प्रशिक्षकों ने बीएलओ और सुपरवाइजर्स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।इस दौरान संवैधानिक प्रावधानों एवं वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी गई।

जिले के बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत बुधवार को जिले की समस्त विधानसभाओं के बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से निर्वाचन विभाग राजस्थान के निदेर्शानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्मिकों की क्षमता संवर्द्धन किया गया। दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा प्रतिभागियों को मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नामों को जोड़ने-हटाने और त्रुटियों को सुधारने जैसी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया।

प्रशिक्षकों ने बीएलओ और सुपरवाइजर्स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। कार्यशाला में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण की पूर्व तैयारियों और इसके निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया।

बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने, मृत या स्थानांतरित हुए मतदाताओं के नाम हटाने और त्रुटियों को सुधारने के तरीके सिखाए गए। साथ ही उन्हें आने वाली संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई।

इस दौरान संवैधानिक प्रावधानों एवं वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूची 2002 एवं मतदाता सूची 2025 के आधार पर मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 01 दस्तावेज लेना है। द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 02 दस्तावेज जिये जाने है, जिसमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते है।

तृतीय श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके तीन दस्तावेज लिये जाने है, जिनमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01-01 दस्तावेज माता और पिता का लिया जाना है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, उनसे गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं लेना है।